पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी
देवीपाटन संभाग–गोण्डा।

पत्रांकः– 148 / सा0प्रशा0 / शिका0 / 2025 दिनांक : 24.04.2025

सेवा में,

श्री मनोज पाठक
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अवध क्षेत्र,
लोक जनशक्ति पार्टी(राम विलास)
शांति नगर खरगौरा मोड़
जिला–श्रावस्ती।

विषयः समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली संदर्भ संख्या–1218250043953 के माध्यम से की गयी शिकायत के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा0) उ0प्र0 के पत्र सं0–31(आईजीआरएस) सत0प्रको0 / 25–74(01) / सत0 प्रको0 / 25 दिनांक 17.04.2025 द्वारा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली संदर्भ संख्या–1218250043953 में आप द्वारा श्रावस्ती उपसंभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में शिकायत की गयी तथा जांच कर कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त शिकायत में अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी बनाया गया है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि शिकायत पत्र में उल्लिखित शिकायत के संबंध में साक्ष्य सहित तीन दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो जिससे जांच आख्या अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा0) उ0प्र0 महोदया को प्रेषित की जा सके।

24/4/25

संभागीय परिवहन अधिकारी
देवीपाटन–गोण्डा।

O/C

rto(a)july19-21/pramod/d

पासवान अमर रहें !! लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिन्दाबाद !! बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें!!

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

(संस्थापक- स्व0 रामविलास पासवान, लोजपा एवं (दलित सेना)

केन्द्रीय कार्यालय

71 नार्थ एवेन्यु नई दिल्ली-110001

मनोज पाठक

9648904288

मा0 चिराग पासवान जी

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत सरकार

F10000000081000

पत्रांक: 08 ऐपी

दिनांक: 6/02/25

सेवा में,

मा0 मुख्यमन्त्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

प्रमुख सचिव, परिवहन

कृपया नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

13/3/25

(विपिन कुमार जैन)

विशेष सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश

अपर सी0 एम0 ...

21 ... 2025

अन्तरित

विषय-परिवहन विभाग, श्रावस्ती में तैनात ए0आर0टी0ओ0 एवं पंकज कनौजिया डी0बी0ए0 की जांच कमेटी बनाकर भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में।

सानुरोध अवगत कराना हैं कि उप संभागीय परिवहन कार्यालय में तैनात पंकज कुमार कनौजिया डी.बी.ए. के पद पर एन0आई0सी0 के माध्यम से कार्यरत हैं। जिसके द्वारा परिवहन विभाग में आने वाले आम जनता से चालान वाहन को अमुक्त करने/ड्राइविंग लाइसेंस को पास करने, मेल के द्वारा सत्यापन आदि कार्य ए0आर0टी0ओ0 की मिली-भगत से किया जाता हैं। प्रार्थी पंकज कुमार कनौजिया के भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहता है, जो विन्दुवार निम्नवत् हैं-

बिन्दु सं0-01-पंकज कुमार कनौजिया के द्वारा समर्पण हॉस्पिटल बहराइच के पीछे 01 करोड़ की लागत का वसूली करके बनाया गया हैं, जबकि इनका मासिक वेतन लगभग 15-20 हजार रूपया हैं तथा सुजुकी ग्रेजा गाडी माडल 2023 क्रय किया हैं। पंकज कुमार कनौजिया डी.बी.ए.के आय व व्यय की जांच कराया जाय न्यायहीत में आवश्यक हैं।

बिन्दु सं0-02-कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा किये गये प्राविधानों के अनुसार धारा-22 एंव धारा-86 में बन्द वहनों के परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस को 03 माह के लिए निलम्बित करने का प्राविधान हैं परन्तु पंकज कनौजिया के द्वारा शुल्क के अतिरिक्त 10000 रूपया लेकर वाहनों के परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस को निलम्बन

जन सम्पर्क कार्यालयः शान्ति नगर खरगौरा मोड़, जनपद-श्रावस्ती

आवासः खरगौरा पो0-पटना खरगौरा, भिनगा-श्रावस्ती (उ0प्र0) पिन कोड-271831

नहीं किया जाता हैं (दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2024 तक धारा–22 एंव धारा–86 में बन्द वाहनों के परमिट व लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं।)

बिन्दु सं0–03–पंकज कनौजिया के द्वारा अवधेश यादव के माध्यम के वाहनों के चालान न्यायलय प्रेषण हेतु 5000 रूपया अवैध रूप से लिया जाता हैं। साक्ष्य हेतु अवधेश यादव के हस्तलिखित चालान प्रेषण रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध हैं इसकी जांच करायी जाय।

बिन्दु सं0–04–दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2024 तक आर0टी0ओ0 द्वारा चालान किये गये वाहनों की संख्या एंव मा0 न्यायलय में प्रेषित किये गये ओवरलोड वाहनों के चालान से स्पष्ट किया जा सकता है कि पंकज कनौजिया के द्वारा अवैध रुपया लेकर चालान मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है, इसकी जांच कराया जाये।

बिन्दु सं0–05–UP 46 1231 का फिटनेश दि0–01.02.2025 को किया गया हैं उक्त वाहन फिटनेश। संचालन योग्य नहीं है वाहन का चेंचिस नम्बर नहीं हैं।

बिन्दु सं0–6–पंकज कुमार कनौजिया के द्वारा ए0आर0टी0ओ0 के आई0डी0 से ड्राइविंग लाइसेंस पास/फेल किया जाता है। वर्तमान में तैनात ए0आर0टी0ओ0 जनपद बाराबंकी में सम्बद्ध है वह कार्यालय माह में 01–02 बार आते है पंकज कनौजिया के द्वारा ई–मेल के माध्यम से OTP निकालकर ए0आर0टी0ओ0 के आई0डी0 से लाइसेंस सम्बन्धी कार्य किया जाता है। प्रत्येक लाइसेंस को पास करने के नाम पर राजीव मिश्र के द्वारा बायोमैटिक्स कमरे में बैठकर रूपया वसूला जाता हैं पंकज कुमार कनौजिया के द्वारा अवैध वसूली की रेट सूची बनायी गई हैं–लाइसेंस नवीनकरण रू0 500, दो पहिया व चार पहिया पास कराना–रू2000, लर्नर–1200 रूपया, सत्यापन मेल निकालना–500 रूपया आमजनता से वसूल किया जाता हैं। पैसा न देने पर राजीव मिश्रा के द्वारा आवेदक को फेल करा किया जाता या फाइल गायब कर दी जाती हैं। साक्ष्य हेतु रूपया देने वाले फाइलों पर कोर्ड डाला जाता हैं जो इस प्रकार हैं–(GRIDPPRIBRMSYSS) दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2024 तक जारी किये ड्राइविंग लाइसेंस के पत्रावलियों की जांच कराया जाये।

बिन्दु सं0–07–प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य दिनेश वर्मा लिपिक को अवेटित किया गया हैं, जिसका समस्त कार्य पंकज कनौजिया के द्वारा किया जाता हैं। साक्ष्य हेतु वाहन अवमुक्त प्रार्थना पत्र पर पंकज कनौजिया के हस्तलिखित आख्या उपलब्ध हैं, जिसकी जांच दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2024 तक कराया जाय।

बिन्दु सं0–08–पंकज कुमार कनौजिया के मोबाइल नं0–9956050798 पर किये गये पेमेंट का दिनांक 01.01.2023 से 30.06.2024 तक मोबाइल पे/जी पे की जांच करायी जाये।

अतः महोदय से अनुरोध हैं कि उपरोक्त विन्दुओं का जांच कमेटी बनाकर जांच कराते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

आपका विश्वसनीय
मनोज पाठक
मनोज पाठक

निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मा0 राज्यपाल महोदया उ0प्र0 लखनऊ।

2–मा0 मुख्य सचिव परिवहन उ0प्र0 लखनऊ।

3–श्रीमान मण्डायुक्त महोदय देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

4–श्री अलकेश कुमार शर्मा सचिव, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) नई दिल्ली।

5–श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती।

आपका विश्वसनीय
मनोज पाठक
मनोज पाठक